फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री भेरा

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि.

विपक्षी :– श्री चतरा

पत्रावली संख्या : 104/22

GCMS: 2022/153

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 28.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण संख्या 1 से 7 के संम्मन बाद तामिल प्राप्त। अनुपस्थित है। आवाजे दिलवायी गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 7 के विरूद्ध पूर्व में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जातें हैं। प्रकरण में प्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। प्रार्थी के कथनानुसार विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं हाने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर उदयपुर राज. में खाता नम्बर 1118 नये 346 पुराने आराजी नम्बर 8852/2851 किता 1 रकबा 0.[illegible] हेक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थ[illegible] करवाया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 500/- [illegible] सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नि[illegible] आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में भू–प्रबंधन के बाद बने नये खसरा नंबरान के आधार पर पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:52:16 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सुनाया गया।